संख्या-63/2025/1448/2025/001-12-5099-11-2025

प्रेषक,

गुंजन दुबे,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश, कृषि भवन,
लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊ : दिनांक 17 दिसम्बर, 2025**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान(पीएम-कुसुम) योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-सोलर/531/पीएम-कुसुम/2025-26, दिनांक 25.11.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 113-कृषि इंजीनियरी, 06-प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू० 50942.82 लाख के सापेक्ष विभिन्न मानक मदों में रू० 20227.50 लाख (रूपये दो अरब दो करोड़ सत्ताईस लाख पचास हजार मात्र) राज्यांश की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत धनराशि का व्यय राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार योजना की गाइडलान्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण योजना की गाइडलाइन एवं तदविषयक भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
3. जिन मामलों में उ०प्र० बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/ केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
4. स्वीकृत धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही उसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।
5. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह कृषि निदेशक, उ०प्र० का उत्तरदायित्व होगा।
6. स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा व्यय विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे।
7. ऑकडो की शुद्धता का दायित्व कृषि निदेशक, उ०प्र० का होगा।
8. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

9. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 एवं इस संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों तथा अन्य सुसंगत दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **लेखाशीर्ष:** 2401001130600 (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एंव उत्थान महाभियान (पी.एम. कुसुम) योजना)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	011	2401001130600 प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एंव उत्थान महाभियान (पी.एम. कुसुम) योजना	04 यात्रा व्यय	3,75,000 (रुपये तीन लाख पचहत्तर हजार मात्र)
2	011	2401001130600 प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एंव उत्थान महाभियान (पी.एम. कुसुम) योजना	08 कार्यालय व्यय	18,75,000 (रुपये अठारह लाख पचहत्तर हजार मात्र)
3	011	2401001130600 प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एंव उत्थान महाभियान (पी.एम. कुसुम) योजना	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	15,00,000 (रुपये पन्द्रह लाख मात्र)
4	011	2401001130600 प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एंव उत्थान महाभियान (पी.एम. कुसुम) योजना	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	37,50,000 (रुपये सैंतीस लाख पचास हजार मात्र)
5	011	2401001130600 प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एंव उत्थान महाभियान (पी.एम. कुसुम) योजना	19 विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	35,00,000 (रुपये पैंतीस लाख मात्र)
6	011	2401001130600 प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एंव उत्थान महाभियान (पी.एम. कुसुम) योजना	27 सब्सिडी	2,00,00,00,000 (रुपये दो अरब मात्र)
7	011	2401001130600 प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एंव उत्थान महाभियान (पी.एम. कुसुम) योजना	42 अन्य व्यय	37,50,000 (रुपये सैंतीस लाख पचास हजार मात्र)
8	011	2401001130600 प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एंव उत्थान महाभियान (पी.एम. कुसुम) योजना	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	80,00,000 (रुपये अस्सी लाख मात्र)
	कुल			**2,02,27,50,000** **(रुपये दो अरब दो करोड़ सत्ताईस लाख पचास हजार मात्र)**

महायोग	2,02,27,50,000 (रुपये दो अरब दो करोड़ सत्ताईस लाख पचास हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-**E-1-168-X-2025-26, दिनांक 03-12-2025 में** प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
गुंजन दुबे
अनु सचिव।

संख्या-63/2025/1448/2025/001-12-5099-11-2025, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. अपर कृषि निदेशक (तिलहन एवं दलहन) / नोडल अधिकारी (पी0एम0कुसुम), कृषि भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 कृषि निदेशालय, कृषि भवन, लखनऊ।
7. सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय) कृषि भवन, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/कृषि अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-3
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
गुंजन दुबे
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।